यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम
Union Bank of India
A Government of India Undertaking

परिशिष्ट - II

चेकों / लिखतों के संग्रहण एवं लिखतों के अनादरण पर पॉलिसी 2023-24

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम
Union Bank of India
A Government of India Undertaking
परिचालन विभाग, दि आर्केड, टॉवर 4, द्वितीय तल, डबल्यूटीसी, कफ परेड, मुंबई
Operations Department, The Arcade, Tower 4, 2nd Floor, WTC, Cuffe Parade, Mumbai

विषय-सूची

क्र. सं.	पैरा सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	1	परिचय	4
2	2	विनियामक चिंता और बैंक द्वारा उठाए गए कदम	5
3	3	पॉलिसी की व्यापकता	5
4	4	पॉलिसी का उद्देश्य	5
5	5	संग्रहण हेतु व्यवस्था	5
6	5.1	स्थानीय चेक	5
7	5.2	बीटीएफ़ (बैच टु फ़ाइल) मॉडल	6
8	5.3	सीटीएस चेक (सीटीएस आधारित समाशोधन प्रणाली के तहत चेक समाशोधन प्रक्रिया)	6
9	5.3.1	जारी चेक की इलेक्ट्रॉनिक छवि के आधार पर भुगतान प्राप्त करना	6
10	5.3.2	सीटीएस अनुपालन चेक	7
1 1	5.3.3	सीटीएस कार्य केंद्र	8
12	5.3.4	जीआरआईडी आधारित सीटीएस-2010 केंद्रों में शामिल राज्य	8
13	5.3.5	ग्रिड केंद्रों पर चेक की प्रस्तुति	8
14	5.3.6	गैर-सीटीएस चेक	8
15	5.3.7	जहां कोई समाशोधन गृह मौजूद नहीं है / काउंटर पर समाशोधन	8
16	5.3.8	राज्य सरकार के चेकों के लिए पेपर टू फॉलो (P2F) की आवश्यकता को समाप्त करना	8
17	5.3.9	बाहरी चेक	10
18	5.3.10	विदेशों में देय चेक	11
19	5.3.11	स्थानीय / बाहरी चेक / लिखतों का तत्काल क्रेडिट	11
20	5.3.12	समाशोधन के निलंबन के दौरान बैंकर्स चेक, ड्राफ्ट आदि का तत्काल क्रेडिट	12
21	5.3.13	स्थानीय/बाहरी चेकों की खरीद	12
22	6	तृतीय पक्ष के चेक का संग्रहण	1 2
23	7	मृत व्यक्ति के नाम पर चेक का संग्रह	1 3
24	8	स्थानीय / बाहरी / विदेशी चेक / लिखतों की वसूली के लिए समय सीमा	1 3
25	8.1	स्थानीय चेक की वसूली के लिए समय सीमा	13
26	8.2	विदेशों में आहरित चेक	14

27	9	भारत के बाहर देय स्थानीय / बाहरी चेक और चेक के विलंबित संग्रह के लिए ब्याज का भुगतान	14
28	10	चेक / लिखत पारगमन में / समाशोधन प्रक्रिया में या भुगतानकर्ता बैंक की शाखा में खो गए	15
29	11	तृतीय पक्ष पृष्ठांकन	15
30	12	चेक / ड्राफ्ट / पे ऑर्डर / बैंकर्स चेक की वैधता	15
31	13	अप्रत्याशित घटना	15
32	14	बिना भुगतान किए लौटाए गए चेक पर ब्याज लगाना, जहां तत्काल क्रेडिट दिया गया था	16
33	15	प्रभारों के वसूली पर सेवा प्रभार / शुल्क	16
34	16	चेक अनादरण - प्रक्रियाएं	16
35	16.1	अनादरित चेकों की वापसी / प्रेषण की प्रक्रिया	16
36	16.2	अनादरित चेकों की जानकारी	19
37	16.3	नियमित अनादरण की घटनाओं का प्रबंधन	19
38	16.3.1	1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के चेक के नियमित अनादरण की घटनाओं का प्रबंधन	19
39	17	रैंडम नंबर के साथ चेक जारी करना	20
40	18	आधार शाखा द्वारा विभिन्न केंद्रों पर समाशोधन में प्रस्तुत चेक का सत्यापन	20
41	19	ग्राहक शिकायत निवारण	22
42	20	सामान्य	22
43	21	एसएमएस / ई-मेल अलर्ट	22
44	22	पीआरडी (विवादों के समाधान हेतु पैनल)	22
45	23	पॉज़िटिव पे प्रणाली	22
46	23.1	पृष्ठभूमि	22
47	23.2	पॉज़िटिव पे के चेनल	22
48	23.3	पॉज़िटिव पे की विशेषताएं	23
49	23.4	अनिवार्य पॉज़िटिव पे	24
50	24	पॉलिसी की वैधता और समीक्षा	24

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

परिचालन विभाग, केंद्रीय कार्यालय
दि आर्केड टॉवर 4, द्वितीय तल, डब्ल्यूटीसी, कफ परेड, मुंबई-400 005.

चेकों/ लिखतों के संग्रहण एवं लिखतों के अनादरण पर पॉलिसी 2022-23

1. परिचय

भुगतान और निपटान प्रणालियों में तकनीकी प्रगति और कई बैंकों द्वारा किए गए परिचालन प्रणालियों और प्रक्रियाओं में गुणात्मक परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 नवंबर 2004 से अपने पहले वाणिज्यिक बैंकों पर निर्देशों को वापस ले लिया :

(i) स्थानीय / बाहरी चेकों का तत्काल क्रेडिट,
(ii) स्थानीय / बाहरी लिखतों के संग्रहण के लिए समय सीमा एवं
(iii) विलंबित वसूली के लिए ब्याज भुगतान.

भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भित परिपत्र RBI/2004/261 DBOD.No.Leg.BC.55/09.07.005/2004-05 दिनांक 01.11.2004 के अनुसार, उपर्युक्त बिंदुओं पर पॉलिसी तैयार करने का विवेक बैंकों को जमाकर्ताओं / ग्राहकों के हित ध्यान में रखते हुए दिया गया. तदनुसार, इस विशेष पॉलिसी में बिंदु संख्या 5.2.11, बिंदु संख्या 6 और बिंदु संख्या 7 के तहत उक्त बिन्दुओं को शामिल किया गया.

इन अनिवार्य दिशा-निर्देशों को वापस लेने से बाजार की ताकतों, प्रतिस्पर्धा में आने, चेक और अन्य लिखतों के संग्रहण में दक्षता में सुधार करने में सक्षम होने की आशा थी. बैंक की यह संग्रहण पॉलिसी हमारे ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने और कार्यनिष्पादन के लिए उच्च मानक निर्धारित करने के हमारे निरंतर प्रयासों का प्रतिबिंब है. यह पॉलिसी ग्राहकों के साथ व्यवहार में पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है. बैंक अपने ग्राहकों को त्वरित संग्रहण सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. इस पॉलिसी दस्तावेज़ में निम्नलिखित पहलू शामिल हैं:

- भारत और विदेशों के केंद्रों पर स्थानीय रूप से देय चेक और अन्य लिखतों का संग्रहण.
- लिखतों के संग्रहण के लिए समय मानदंडों के संबंध में हमारी प्रतिबद्धता.
- उन मामलों में ब्याज के भुगतान पर पॉलिसी जहां बैंक बाहरी लिखतों की आय की वसूली के लिए समय मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है.
- पारगमन में गुम हुए संग्रहण लिखतों के प्रबंधन हेतु हमारी पॉलिसी.
- चेक के अनादरण पर हमारी पॉलिसी
- ग्राहकों को पॉज़िटिव पे के विकल्प की उपलब्धता

2. विनियामक चिंता और बैंक द्वारा उठाए गए कदम:

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पत्र संख्या RBI:2020-21:41 DPSS.CO.RPPD.No.309:04.07.005:2020-21 दिनांक 25.09.2020 के जरिए चेक समाशोधन प्रक्रिया में पॉज़िटिव पे प्रणाली शुरू की है. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश, भुगतान और निपटान अधिनियम 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के तहत हैं. भारतीय रिजर्व बैंक ने पॉज़िटिव पे प्रणाली के लिए व्यापक मानदंड निर्धारित किए हैं, जो विभिन्न परिदृश्यों और चुनौतियों को बेंचमार्क करने के लिए हैं जो केंद्रीय पॉज़िटिव पे प्रणाली के कार्यान्वयन और समाशोधन चेक जमा करने पर सामने आ सकते हैं. बैंक ने तदनुसार एक अध्ययन किया है और अनुदेश परिपत्र क्र 02374-2021 दिनांक 06.01.2021 के माध्यम से पॉज़िटिव पे प्रणाली पर एक पॉलिसी जारी की है.

इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न समाशोधन गृहों में रिटर्न बनाम ड्रॉइंग (आरडी) और रिटर्न बनाम प्रेजेंटेशन (आरपी) पर सीमा के उल्लंघन पर भी अपनी चिंता व्यक्त की है. अतः, शाखाओं को समाशोधन के लिए प्रस्तुत चेकों की वापसी पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यक्त की गई चिंता का संज्ञान लेने की आवश्यकता है. शाखाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रस्तुत किए गए चेक की वापसी भारतीय रिजर्व बैंक की प्रारंभिक सीमा अर्थात प्रस्तुत किए गए कुल चेक का 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए.

3. पॉलिसी की व्यापकता :

यह पॉलिसी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सभी घरेलू शाखाओं पर लागू है. इसमें घरेलू शाखाओं के माध्यम से विदेशी चेकों का संग्रहण भी शामिल है.

4. पॉलिसी का उद्देश्य:

4.1 ग्राहकों के हितों की रक्षा करना और संभावित विवाद और ऐसे विवादों के निपटान में लगने वाले समय से बचना.

4.2 चेक के भौतिक संचलन को रोकने के लिए और लिखत की छवि और एमआईसीआर लाइन में निहित संबंधित डाटा द्वारा भौतिक उपकरण के प्रतिस्थापन को रोकना.

4.3 प्रक्रिया को लागत प्रभावी बनाने हेतु.

4.4 चेक समाशोधन से संबंधित धोखाधड़ी के मामलों को कम करना.

4.5 भुगतान को सुरक्षित एवं संरक्षित बनाने के लिए

5. संग्रहण हेतु व्यवस्था:

5.1 **स्थानीय चेक:** स्थानीय रूप से देय सभी चेक और अन्य परक्राम्य लिखत केंद्र में प्रचलित समाशोधन प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे. निर्दिष्ट कट-ऑफ समय से पहले शाखा काउंटरों और शाखा परिसर के भीतर संग्रह बक्से में जमा किए गए चेक उसी दिन समाशोधन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे. कट-ऑफ समय के बाद जमा किए गए चेक और ऑफ-साइट एटीएम सहित शाखा परिसर के बाहर संग्रहन बॉक्स में जमा किए गए चेक अगले समाशोधन चक्र में प्रस्तुत किए जाएंगे. एक पॉलिसी के रूप में, बैंक ग्राहक के खाते में समाशोधन निपटान समय सीमा के अनुसार क्रेडिट देगा. समाशोधन गृह के चेक रिटर्न शेड्यूल के अनुसार जमा की गई राशि की निकासी की अनुमति होगी.

5.2 बीटीएफ (बैच टू फाइल) मॉडल: शाखा द्वारा उपकरण एकत्र किए जाते हैं, फिनेकल सिस्टम में डाटा प्रविष्टि की जाती है, वीसॉफ्ट शाखा जमा आवेदन में स्कैनिंग और सत्यापन किया जाता है और अंत में सीएचआई (क्लियरिंग हाउस इंटरफेस) को स्थानांतरित किया जाता है. बीटीएफ मॉडल जहां भी संगत स्कैनर उपलब्ध है वहां लागू होता है और केवल शाखा में ही बाहरी समाशोधन गतिविधियां की जाती हैं [मानक परिचालन प्रक्रिया के साथ विस्तृत दिशानिर्देश अनुदेश परिपत्र क्र 02938 दिनांक 04.12.2021 के माध्यम से परिचालित किए गए हैं].

5.3 सीटीएस चेक (सीटीएस आधारित क्लियरिंग सिस्टम के तहत चेक क्लियरिंग प्रक्रिया): चेक ट्रंकेशन एक प्रस्तुतकर्ता बैंक द्वारा अदाकर्ता बैंक को जारी किए गए भौतिक चेक के प्रवाह को समाप्त करने की प्रक्रिया है. भौतिक जांचों को ट्रांकेटेड किया जाता है और चेक की इलेक्ट्रॉनिक छवियों को संसाधित करने के लिए कैप्चर किया जाता है. भौतिक चेक प्रस्तुतकर्ता बैंक में ही रखे जाते हैं. डाटा के साथ कैप्चर की गई छवि का बैंकों में आदान-प्रदान किया जाता है. बैंक एनपीसीआई की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और समाधान प्रदाताओं की सहायता से आवक और जावक समाशोधन का प्रबंधन करता है.

5.3.1 ट्रांकेटेड चेक की इलेक्ट्रॉनिक छवि के आधार पर भुगतान प्राप्त करना:

क. चेक लेनदेन की कानूनी स्थिति परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में परक्राम्य लिखत (संशोधन और विविध प्रावधान) अधिनियम, 2002 के आधार पर किए गए संशोधनों से ली गई है, जिसमें अन्य के अलावा, एनआई की धारा 6,64, 81, 89 और 131 है. चेक की ट्रांकेटेड इमेज की वैधता को शामिल करने के लिए अधिनियम, 1881 भी उपयुक्त रूप से संशोधित हैं.

i. चेक ट्रंकेशन सिस्टम - परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 (संशोधन) की धारा 131.

ii. समुचित सावधानी का दायित्व सीटीएस परिवेश में प्रस्तुतकर्ता बैंक को स्थानांतरित कर दिया गया.

बैंक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने पास रखे एक ट्रांकेटेड चेक की इलेक्ट्रॉनिक छवि के आधार पर भुगतान प्राप्त करे, ट्रांकेटेड किए गए चेक की वास्तविकता को प्रथम दृष्टया सत्यापित करें और किसी भी धोखाधड़ी, जालसाजी या लिखत पर छेड़छाड़ दिखाई देती है तो उसे समय-समय पर संशोधित एनआई अधिनियम 1881 के दिशानिर्देशों के अनुसार समुचित सावधानी और सामान्य देखभाल के साथ सत्यापित किया जा सकता है.

ख. उपर्युक्त संशोधन को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तुतकर्ता बैंक उचित सावधानी बरतने की जिम्मेदारी लेता है. सीटीएस स्कैनिंग सेंटर / क्लियरिंग सेंटर / हब को चेक भेजते समय शाखाओं को निम्नलिखित सुनिश्चित करना चाहिए:

i. सभी लिखतों पर समुचित सावधानी बरतने के लिए
ii. लिखतों की स्पष्ट अवधि की जांच करने के लिए
iii. अल्ट्रा वायलेट लैंप (यूवीएल) के तहत सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए
iv. सामग्री परिवर्तन के लिए चेक की जांच करने के लिए
v. उपकरणों की वास्तविकता और वैधता सुनिश्चित करने के लिए
vi. यह सुनिश्चित करने के लिए कि पे इन स्लिप सही और पूर्ण खाता संख्या और खाताधारक के नाम ठीक से भरा गया है.
vii. यह सुनिश्चित करने के लिए कि मोबाइल नंबर के साथ चेक / इंस्ट्रूमेंट के पीछे जमाकर्ता का पूरा अकाउंट नंबर लिखा हो.
viii. स्कैन के लिए भेजने से पहले यह सुनिश्चित करना कि चेक पर शाखा की मुहर लगी हो.

ग. लिखतों को स्कैन करते समय स्कैनिंग सेंटर / क्लियरिंग सेंटर / हब को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को भी सुनिश्चित करना चाहिए:

i. लिखतों की स्पष्ट अवधि और वास्तविकता की जांच करने के लिए
ii. अल्ट्रा वायलेट लैंप (यूएलवी) के तहत लिखतों का सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए
iii. यह सुनिश्चित करने के लिए कि लिखत सीटीएस 2010 मानक की विशेषताओं की पुष्टि करता है
iv. यह सुनिश्चित करने के लिए कि लिखत का भौतिक अनुभव चेक के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान्य पेपर मानक को पूरा करता है
v. यह सुनिश्चित करें कि कोई भी भौतिक परिवर्तन सामान्य रूप से दिखाई न दे
vi. समाशोधन चक्र पूरा होने के बाद चेक पर भुगतान/वापसी की मुहर लगाना.

घ. सामान्य बिंदु :

i. ड्रॉप बॉक्स सुविधा और नियमित संग्रह काउंटरों पर चेकों की पावती की सुविधा दोनों ही ग्राहकों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए और यदि ग्राहक काउंटरों पर चेक प्रस्तुत करता है तो किसी भी शाखा को पावती देने से इंकार नहीं करना चाहिए.

ii. शाखा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहकों को ड्रॉप-बॉक्स में चेक डालने के लिए बाध्य नहीं किया जाना है.

iii. इसके अलावा, इस संबंध में ग्राहक जागरूकता के संदर्भ में, शाखा को अनिवार्य रूप से चेक ड्रॉप बॉक्स पर प्रदर्शित करना चाहिए कि "ग्राहक काउंटर पर चेक जमा कर सकते हैं और पे-इन-स्लिप पर पावती प्राप्त कर सकते हैं". उपर्युक्त संदेश को अंग्रेजी, हिंदी और राज्य की संबंधित क्षेत्रीय भाषा में प्रदर्शित करना आवश्यक है.

iv. शाखाओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे प्रत्येक बार बॉक्स खोले जाने पर लिखतों की संख्या के अनुरूप पूरी तरह से विश्वसनीय व्यवस्था करें ताकि कोई विवाद न हो और ग्राहक के हितों से समझौता न हो.

v. शाखाएं संग्रहण के लिए अपने ग्राहकों द्वारा जमा किए गए बाहरी चेकों को स्वीकार करने से इंकार नहीं करेंगी.

vi. शाखाएं अपनी शाखाओं के नोटिस बोर्ड पर संग्रहण पॉलिसी की मुख्य विशेषताओं को मोटे और स्पष्ट अक्षरों में प्रमुखता से प्रदर्शित करके व्यापक प्रचार करेंगी.

vii. यदि ग्राहक को आवश्यकता है, तो पूर्ण सीसीपी की एक प्रति शाखा प्रबंधक द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी.

viii. शाखाओं द्वारा प्रमुख स्थानों पर पॉज़िटिव पे की सूचना प्रदर्शित की जानी चाहिए और धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉज़िटिव पे का उपयोग करने के लिए ग्राहकों को जागरूक किया जाना चाहिए.

5.3.2 हमारी शाखाएं ग्राहकों को केवल पार सीटीएस मानक 2010 पर देय चेक जारी करती हैं.

5.3.3 चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) वर्तमान में दिल्ली में नई दिल्ली ग्रिड, चेन्नई में चेन्नई ग्रिड और मुंबई में मुंबई ग्रिड में काम कर रहा है.

5.3.4 ग्रिड (जीआरआईडी) आधारित सीटीएस-2010 केंद्रों में शामिल राज्य:

क. नई दिल्ली ग्रिड में बिहार के केंद्र, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, नई दिल्ली का एनसीआर, हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों के केंद्र शामिल हैं.

ख. चेन्नई में चेन्नई ग्रिड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना , उत्तर पूर्वी राज्यों, ओडिशा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु , पश्चिम बंगाल राज्यों और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करता है.

ग. मुंबई में मुंबई ग्रिड में छत्तीसगढ़ , गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के केंद्र शामिल हैं.

5.3.5 एक ही ग्रिड के अंतर्गत आने वाले सभी केंद्रों को एकल समाशोधन क्षेत्र के रूप में माना जाएगा और इन केंद्रों पर आहरित और किसी भी ग्रिड केंद्र पर प्रस्तुत किए गए चेक को स्थानीय रूप से आहरित चेक के रूप में माना जाएगा, क्योंकि ऐसे चेकों के लिए कोई समाशोधन शुल्क लागू नहीं होगा.

परिचालन विभाग आरबीआई / एनपीसीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप सीटीएस समाशोधन के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया जारी करने के लिए अधिकृत है.

5.3.6 गैर-सीटीएस जांच

भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, अपने ग्राहकों को चेक सुविधा प्रदान करने वाले सभी बैंकों को केवल "सीटीएस-2010" मानक चेक जारी करने की सलाह दी गई है. सीटीएस-2010 मानकों का अनुपालन नहीं करने वाले चेकों को सीटीएस समाशोधन के माध्यम से मंजूरी नहीं दी जाएगी.

5.3.7 जहां कोई समाशोधन गृह मौजूद नहीं है / काउंटर पर समाशोधन

बैंक **शाखाएं** जो किसी सीटीएस ग्रिड के सदस्य नहीं हैं या जहां कोई समाशोधन गृह मौजूद नहीं है, काउंटर पर अदाकर्ता बैंकों को स्थानीय चेक प्रस्तुत करेंगे और यह बैंक का एंड होगा.
ग्राहक द्वारा जल्द से जल्द मगर 3 कार्य दिवस के बाद में राशि जमा नहीं करने का समर्थन करता है.

5.3.8 राज्य सरकार के चेक के लिए पेपर टू फॉलो (P2F) की आवश्यकता को समाप्त करना :

क. भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 20.06.2019 के परिपत्र के अनुसार, अब राज्य सरकार के विभागों / कोषागारों को भुगतान किए गए राज्य सरकार के चेक भौतिक रूप (आमतौर पर पी2एफ के रूप में जाना जाता है) को अग्रेषित करने की वर्तमान आवश्यकता को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है

ख. चेक ट्रांकेशन सिस्टम में, आहर्ता बैंक का अर्थ किसी मंत्रालय / विभाग / कोषागर / उप कोषागर से मान्यता प्राप्त बैंक की डीलिंग शाखा से हैं जिस पर चेक आहारित किए जाते हैं. प्रस्तुतकर्ता बैंक का अर्थ किसी भी बैंक की शाखा है जहां ग्राहकों द्वारा भुगतान के लिए चेक प्रस्तुत किए जाते हैं. प्रस्तुतकर्ता बैंक और अदाकर्ता बैंक दोनों चेक के भुगतान के संबंध में ट्राकेशन सिस्टम आदि पर विभिन्न अधिनियमों / विनियमों / नियमों जैसे परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881, बैंकर्स बुक्स एविडेंस अधिनियम 1891, बैंकर के संशोधन गृहों हेतु समान विनियम और

नियम चेक के लिए प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश के तहत निर्धारित अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना जारी रखेंगे. अब से सरकारी चेकों का भुगतान केवल उनकी इलेक्ट्रोनिक इमेज के आधार पर सीटीएस समाशोधन में किया जाएगा. भौतिक रूप से भुगतान किए गए चेक प्रस्तुतकर्ता बैंक द्वारा सुरक्षित रखें जाएंगे.

ग. यदि कोई अदाकर्ता बैंक भुगतान के लिए पास करने से पहले सरकारी चेक को भौतिक रूप में सत्यापित करना चाहता है, तो इमेज "दस्तावेज़ के साथ प्रस्तुत" के कारण के साथ बिना भुगतान के वापस कर दी जाएगी. ऐसे मामलों में प्रस्तुतकर्ता बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि लिखत अगले लागू समाशोधन सत्र में खाताधारक (प्राप्तकर्ता) को बिना किसी संदर्भ के फिर से प्रस्तुत किया जाए.

घ. प्रस्तुतकर्ता बैंकों के लिए आवश्यक है कि वे भौतिक लिखतों को सीटीएस के लिए प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक 10 वर्षों की अवधि के लिए अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रूप से सुरक्षित रखें. कानूनी मामलों के तहत किसी भी जांच, पूछताछ आदि के उद्देश्य के लिए यदि विशिष्ट चेक की आवश्यकता होती है, तो उन्हें 10 साल से अधिक संरक्षित किया जाना चाहिए. अदाकर्ता बैंक सभी सरकारी चेकों की इमेज को 10 वर्षों की अवधि के लिए अपने पास या भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा स्थापित राष्ट्रीय अभिलेखीय प्रणाली के माध्यम से संरक्षित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेंगे.

ङ. नकद निकासी या हस्तांतरण के माध्यम से एक अदाकर्ता बैंक द्वारा अपने काउंटर पर भुगतान किए गए सरकारी चेक को भी 10 वर्षों के लिए ट्रांकेटेड और संरक्षित करने की आवश्यकता होती है. यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए कि ये ईमेज अदाकर्ता बैंकों द्वारा अलग से लिए गए हों और समाशोधन में भुगतान के लिए प्राप्त लिखतों की इमेजों के साथ मिश्रित न हों. राज्य सरकार के विभागों / कोषागारों / उप-कोषागारों को आगे भेजने के लिए सभी भुगतान किए गए चेकों की इमेज वाली एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल दैनिक आधार पर बनाई जाएगी.

च. राज्य सरकार के लेन-देन का प्रबंधन करने वाली शाखा दैनिक आधार पर निर्धारित प्रपत्र में या उप-कोषागार / कोषागार के बीच व्यवस्था के अनुसार भुगतान स्क्रॉल भेजना जारी रखेगी, जिससे वे अब तक संलग्न हैं. हालांकि, चूंकि भुगतान किए गए चेक अब अधिकृत शाखा के पास उपलब्ध नहीं होंगे, उन्हें भुगतान स्क्रॉल के साथ संलग्न नहीं किया जाएगा, लेकिन भुगतान किए गए चेक (नकद, समाशोधन और अंतरण के माध्यम से) की इलेक्ट्रॉनिक इमेज प्रस्तुतकर्ता बैंक द्वारा संरक्षित की जाएंगी. एजी / राज्य सरकार के विभागों / कोषागारों / उप-कोषागारों के कार्यालय को उनकी आवश्यकता के अनुसार सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार / ई-मेल आदि के माध्यम से प्रदान किया जाएगा.

छ. चेक की संरक्षण अवधि के दौरान किसी भी समय, मिलान, पूछताछ, जांच, आदि के उद्देश्य के लिए, कार्यालय महान्यायवादी / राज्य सरकार के विभागों / कोषागारों / उप कोषागारों को भौतिक रूप में किसी भी भुगतान किए

गए चेक की आवश्यकता हो सकती है जिसके लिए संबंधित राज्य सरकार विभाग / कोषागार / उप-कोषागार संबंधित शाखा से संपर्क करेंगे. जब भी ऐसी मांग की जाती है, संबंधित शाखा को तत्काल भुगतान और अंतरित किए गए चेक को प्रस्तुत करने की व्यवस्था करनी होगी. समाशोधन के माध्यम से भुगतान किए गए चेक के मामले में, इसे प्रस्तुतकर्ता बैंक से प्राप्त करने के बाद उचित अवधि के भीतर एजी / राज्य सरकार के विभागों / कोषागारों / उप-कोषागारों के कार्यालय को आपूर्ति की जाएगी. ऐसे मामलों में प्रस्तुतकर्ता बैंक का यह उत्तरदायित्व है कि वह कार्यालय महान्यायवादी / राज्य सरकार के विभागों / कोषागारों / उप-कोषागारों / अदाकर्ता बैंक के किसी भी भौतिक जांच के अनुरोध का अनुपालन करे और इसे संबंधित अदाकर्ता बैंक को उचित समय अवधि में उपलब्ध कराए.

ज. वर्तमान में, सीटीएस, ग्रिड आधार पर परिचालित होते हैं. इसलिए, आरबीआई / एजेंसी बैंकों पर आहरित सरकारी चेक उस ग्रिड में प्रस्तुत किए जाएंगे जिसके अधिकार क्षेत्र में भुगतान करने वाले बैंक की प्राधिकृत / अधिकृत शाखा स्थित है.

झ. जैसा कि अब तक, अदाकर्ता बैंक लेनदेन शाखा के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगा कि भुगतान स्क्रॉल, मासिक डीएमएस आदि में बताई गई गलतियों / विसंगतियों को प्रक्रिया के अनुसार ठीक किया जाए, भुगतान किए गए चेकों की गुम इमेज को तत्काल जमा किया जाए, उप-कोषागार / कोषागार द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित स्क्रॉल की प्रतियां रिकॉर्ड आदि में राखी जाए.

ञ. संशोधित दिशानिर्देश 01 जुलाई, 2019 से राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए चेकों के संबंध में प्रभावी हैं और उन राज्य सरकारों के लिए लागू किए गए हैं जो पी2एफ व्यवस्था को वापस लेने के लिए अपनी सहमति देते हैं. जब भी राज्य सरकारें अपनी सहमति देंगी, इसकी सूचना बैंकों को दी जाएगी. यदि कोई राज्य सरकार इसको समानांतर चलाना चाहती है, तो यह अधिकतम तीन माह के लिए किया जा सकता है (RBI परिपत्र संख्या .RBI/2018-19/216 DGBA.GBD.No.3136/42.01.035/2018-2019 दिनांक 20 जून 2019). समानांतर अवधि के दौरान, पी2एफ चालू रहेगा और अदाकर्ता बैंकों को भौतिक लिखतों और उनकी इमेज दोनों को संबंधित कोषागार / उप-कोषागार को उनकी इच्छानुसार अग्रेषित करना चाहिए. समानांतर रन के पूरा होने के बाद, P2F को बंद कर दिया जाएगा और ऊपर बताए अनुसार केवल इमेज भेजे जाएंगे.

5.3.9 बाहरी चेक

क. बाहरी केंद्रों पर बैंक की अपनी शाखाओं पर आहरित चेक के लिए, उसी दिन ग्राहकों को हमारे इंटरसोल ट्रांसफर सिस्टम के माध्यम से क्रेडिट प्रदान किया जाएगा, जो बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उच्च मूल्य के चेकों के लिए ग्राहक से पुष्टि प्राप्त करने के अधीन है.

ख. बाहरी केंद्रों पर अन्य बैंकों पर आहरित चेक सामान्यतः उन केंद्रों पर बैंक की शाखाओं के माध्यम से एकत्र किए जाएंगे. जहां बैंक की अपनी कोई शाखा नहीं है, वहां लिखत को सीधे अदाकर्ता बैंक को संग्रहण के लिए भेजा जाएगा या एक संवाददाता बैंक के माध्यम से एकत्र किया जाएगा.

5.3.10 विदेशों में देय चेक

क. विदेशी केंद्रों पर देय चेक जहां बैंक की शाखा परिचालन (या एक अनुषंगी संस्था के माध्यम से बैंकिंग परिचालन आदि) है, उस कार्यालय के माध्यम से एकत्र किया जाएगा. संपर्ककर्ता बैंकों की सेवाओं का उपयोग उन देशों / केंद्रों में किया जाएगा जहां संवाददाता मौजूद है. विदेशी बैंकों पर ऐसे केंद्रों पर आहरित किए गए चेक जहां बैंक या उसके संवाददाताओं की प्रत्यक्ष उपस्थिति नहीं है, सीधे अदाकर्ता बैंक को भेजे जाएंगे, जिसमें किसी एक संपर्ककर्ता बैंक के पास रखे गए बैंक के संबंधित नोस्ट्रो खाते में राशि जमा करने के निर्देश होंगे.

ख. घरेलू विदेशी व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग इस संबंध में परिचालन दिशानिर्देश जारी करने के लिए अधिकृत है. [संदर्भ आईसी क्र 7560-2020 दिनांक 20.12.2006 और इसके साथ समय-समय पर संशोधित.]

5.3.11 स्थानीय / बाहरी चेक / लिखतों का तत्काल क्रेडिट

क. शाखाएं / विस्तार काउंटर ऐसे खातों के 6-12 महीनों की अवधि के लिए संतोषजनक परिचालन के अधीन व्यक्तिगत खाताधारकों द्वारा संग्रह के लिए प्रस्तुत किए गए 15,000/- रुपये के कुल मूल्य तक के बाहरी चेक/लिखतों के लिए तत्काल क्रेडिट प्रदान करने पर विचार करेंगे. ग्राहक के विशिष्ट अनुरोध पर या पूर्व व्यवस्था के अनुसार ऐसे संग्रह उपकरणों के सापेक्ष तत्काल क्रेडिट प्रदान किया जाएगा. जिन केंद्रों पर कोई औपचारिक समाशोधन गृह मौजूद नहीं है, वहां स्थानीय चेक के संबंध में तत्काल क्रेडिट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी.

ख. ग्राहकों के बचत बैंक / चालू / नकद क्रेडिट खातों पर तत्काल जमा करने की सुविधा दी जाएगी. इस सुविधा का विस्तार करने के लिए खाते में न्यूनतम शेष राशि रखने की अलग से कोई शर्त नहीं होगी.

ग. इस पॉलिसी के तहत प्रीपेड लिखतों जैसे डिमांड ड्राफ्ट, ब्याज / लाभांश वारंट को चेक के समान माना जाएगा.

चेक के अनादरित होने की स्थिति में, जिसके लिए तत्काल क्रेडिट प्रदान किया गया, उस अवधि के लिए ग्राहक से ब्याज वसूली योग्य होगा, जिस अवधि के लिए बैंक व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए स्वीकृत ओवरड्राफ्ट सीमाओं के लिए लागू दर पर निधियों से बाहर रहता है.

i. इस पॉलिसी के प्रयोजन हेतु, एक संतोषजनक ढंग से परिचालित खाता वह होगा;

ii. कम से कम छह माह पहले खोला गया और पूरी तरह से केवाईसी मानदंडों का पालन करता है.

iii. जिसका संचालन संतोषजनक हो और बैंक ने कोई अनियमित व्यवहार नहीं पाया हो.

iv. जहां कोई भी चेक / लिखत आहरित नहीं किया गया, जिसके लिए तत्काल क्रेडिट दिया गया, वित्तीय कारणों से बिना भुगतान किए लौटा दिया गया.

v. जहां बैंक को तत्काल जमा करने के बाद लौटाए गए चेक सहित पूर्व में अग्रिम किसी भी राशि की वसूली में कोई कठिनाई अनुभव नहीं हुई है.

संग्रहण के लिए निविदा किए गए बाहरी लिखतों के लिए तत्काल क्रेडिट प्रदान करते समय बैंक सामान्य संग्रहण शुल्क और सामान्य व्यय वसूल करेगा. हालांकि, चेक की खरीद के लिए लागू विनिमय शुल्क नहीं लिया जाएगा. शुल्क की अनुसूची समय-समय पर बैंक की वेबसाइट में अपडेट की जाती है.

5.3.12 समाशोधन के निलंबन के दौरान बैंकर्स चेक, ड्राफ्ट आदि का तत्काल क्रेडिट: अधिकारियों / बैंक के नियंत्रण से परे कारणों से समाशोधन गृह संचालन के अस्थायी निलंबन के मामले में, और यह आशंका है कि निलंबन की अवधि बढ़ सकती है, तो ग्राहक की कठिनाइयों को कम करने के लिए बैंक बैंकर्स चेक, डिमांड ड्राफ्ट आदि खरीदकर और सरकारी विभागों द्वारा उनके खाते में जमा किए गए चेकों और स्थानीय बैंकों पर आहरित डिमांड ड्राफ्टों को खरीदकर बैंक जहां तक संभव हो समायोजित करने का प्रयास कर सकते हैं. इस तरह के लिखतों के बाद में अस्वीकृत होने की संभावना के सापेक्ष बैंक के हितों की रक्षा के लिए इस सुविधा को क्रेडिट योग्यता, सत्यनिष्ठा, पिछले लेनदेन और इकाई के व्यवसाय के आधार पर विस्तारित किया जाएगा.

नाबालिग का खाता चाहे व्यक्तिगत रूप से, संयुक्त रूप से या प्राकृतिक अभिभावक, अनिवासी, स्वयं चेक, पृष्ठांकित चेक और एक्सचेंज कंपनी चेक द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया हो, स्थानीय/बाहरी चेक के तत्काल क्रेडिट के लिए पात्र नहीं हैं.

5.3.13 स्थानीय / बाहरी चेकों की खरीद

बैंक, अपने विवेकाधिकार पर, ग्राहक के विशिष्ट अनुरोध पर या पूर्व व्यवस्था के अनुसार संग्रहण के लिए दिए गए स्थानीय / बाहरी चेक खरीद सकता है. खाते के संतोषजनक परिचालन के अलावा, चेक खरीदते समय चेक के आहर्ता की स्थिति पर भी विचार किया जाएगा.
समय-समय पर लागू होने वाले शुल्क लगाए जाएंगे.

6. तृतीय पक्ष के चेक का संग्रहण : "विधिक आवश्यकताओं के अनुरूप और विशेष रूप से, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के प्रयोजन और अनधिकृत संग्रहण से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के बोझ से दबे बैंकों की रक्षा करने की दृष्टि से, और भुगतान एवं बैंकिंग प्रणाली की सत्यनिष्ठा और सुदृढ़ता के प्रयोजनार्थ, और हाल के दिनों में देखे गए विचलन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को उसमें नामित भुगतानकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के खाते में 'आदाता खाता' चेक जमा करने से रोकना आवश्यक समझा है. तदनुसार, शाखा आदाता व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए आदाता खाता चेक एकत्र नहीं करेगी. हालांकि, निम्नलिखित परिस्थितियों में बैंक तृतीय पक्ष के लिए आदाता खाता चेक एकत्र करेगा. क) जहां आहर्ता / आदाता, बैंक को संग्रहण की आय को आदाता के खाते के अलावा किसी अन्य खाते में जमा करने का निर्देश देता है, निर्देश आहर्ता द्वारा चेक या उस पर देय खाता प्राप्तकर्ता 'आदाता खाता' चेक के निहित विशेषता के विपरीत होने पर, बैंक आहर्ता / आदाता से आदेश को वापस लेने के लिए पूछेगा. यह निर्देश किसी बैंक द्वारा आहरित चेक के संबंध में भी दूसरे बैंक को देय होने पर भी लागू होगा. ख) भुगतान प्रणाली के दृष्टिकोण से चेकों के संग्रहण को सुविधाजनक बनाने के लिए, उप-सदस्य के पास जमा किए गए आदाता खाता चेक को उनके ग्राहकों के खाते में जमा करने के लिए समाशोधन गृह के सदस्य बैंक (प्रायोजक सदस्य के रूप में संदर्भित) द्वारा एकत्र किया जा सकता है. ऐसी व्यवस्थाओं के तहत, इस आशय का स्पष्ट वचनबंध होना चाहिए कि प्राप्तकर्ता के खाते में प्राप्त होने वाली राशि वसूली के बाद ही प्राप्तकर्ता के खाते में जमा की जाएगी. ग) सहकारी ऋण समितियों के सदस्यों द्वारा आदाता खाता चेकों के संग्रहण में आने वाली कठिनाइयों को कम करने की दृष्टि से, बैंक अपने ग्राहकों के खातों में अधिकतम रु. 50,000/- राशि के लिए आहारित आदाता खाता चेक संग्रहण करने पर विचार कर सकता है एवं ऐसे चेक

के भुगतानकर्ता ऐसी सहकारी समितियों के घटक हैं. पूर्वोक्त चेकों की वसूली करते समय, बैंक संबंधित सहकारी ऋण समितियों से लिखित रूप में एक स्पष्ट अभ्यावेदन प्राप्त करेगा कि, वसूली के बाद, चेकों की आय केवल सहकारी ऋण समिति के सदस्य के खाते में ही जमा की जाएगी जो चेक में नामित आदाता है. हालांकि, यह परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के प्रावधानों की आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन होगा, जिसमें धारा 131 भी शामिल है. यह ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक पर भी लागू है.

7. मृत व्यक्ति के नाम पर चेक का संग्रहण : मृत व्यक्ति के नाम पर चेक के संग्रहण के लिए, बैंक जीवित व्यक्ति / मृत खाताधारक के नामिती व्यक्ति से "श्री _____ की संपत्ति" मृतक के रूप में खाता खोलने के लिए प्राधिकरण प्राप्त करेगा." जहां मृत खाताधारक के नाम पर सभी प्रक्रियाधीन प्रवाहों को जमा करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि कोई निकासी न की गई हो. या बैंक को उत्तरजीवी (यों) / नामिती द्वारा "मृत खाताधारक" टिप्पणी के साथ प्रेषक को प्रक्रियाधीन प्रवाह वापस करने के लिए अधिकृत किया जाएगा और तदनुसार उत्तरजीवी(यों) / नामिती को सूचित करेगा. उत्तरजीवी / नामिती / विधिक उत्तराधिकारी तब प्रेषक से संपर्क कर सकते हैं ताकि उपयुक्त लाभार्थी के नाम पर परक्राम्य लिखत के माध्यम से या ईसीएस हस्तांतरण के माध्यम से भुगतान किया जा सके.

8. स्थानीय / बाहरी / विदेशी चेक / लिखतों की वसूली के लिए समय सीमा:

8.1 स्थानीय चेकों के लिए समाशोधन में निधियों के निपटान की तारीख को वहन किया जाएगा और खाताधारक को उस केंद्र में प्रचलित वापसी समाशोधन मानदंडों के अनुसार T+1 या T+2 दिन पर धन निकालने की अनुमति होगी. देश के भीतर केंद्रों में संग्रहण के लिए भेजे गए चेक और अन्य लिखतों के लिए निम्नलिखित समय मानदंड लागू होंगे:

क. किसी अन्य केंद्र पर जमा हमारी किसी शाखा पर आहरित चेक / लिखत - उसी दिन

ख. अन्य बैंक पर आहरित चेक / लिखत और वसूली के लिए भेजे गए:

i. केंद्र जहां हमारे बैंक की शाखा है - अधिकतम टी+6 दिन

ii. केंद्र जहां हमारे बैंक की कोई शाखा नहीं है:

केन्द्र	अधिकतम समय सीमा (दिनों में)
राज्य की राजधानियाँ	7
बड़े शहर	10
अन्य स्थान	14

8.2 विदेशी में आहरित चेक :

बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि विदेशी मुद्राओं में आहरित और भारत के बाहर देय लिखतों को भी सबसे तेज और सबसे कुशल तरीके से एकत्र किया जाता है. इसके लिए बैंक ऐसे लिखतों के शीघ्र संग्रहण के लिए उन अन्य देशों में अपने संवाददाता बैंकों के साथ विशिष्ट संग्रहण व्यवस्था कर सकता है. बैंक अन्य देशों के लिए लागू कूलिंग अवधि को ध्यान में रखते हुए , संवाददाता बैंक के साथ बैंक के नोस्ट्रो खाते में आय की वसूली पर ग्राहक को क्रेडिट देगा .

ऐसे विदेशी मुद्रा लिखतों के लिए जहां कहीं भी निर्धारित किया गया है, देश/स्थान विशिष्ट मानदंड और संग्रह में लिखतों को स्वीकार करते समय ग्राहकों को इसकी जानकारी दी जाएगी.

चाहे चेक / लिखत बैंक की अपनी शाखाओं या अन्य बैंकों की शाखाओं पर आहरित किए गए हों, उपर्युक्त समय मानदंड लागू होते हैं . घरेलू विदेशी व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग इस संबंध में परिचालन दिशानिर्देश जारी किए है. [संदर्भ. आईसी संख्या 7560-2020 दिनांक 20.12.2006 और समय-समय पर संशोधित.]

9. भारत के बाहर देय स्थानीय / बाहरी चेक और चेक के विलंबित संग्रह के लिए ब्याज का भुगतान:

9.1 बैंक की क्षतिपूर्ति पॉलिसी के भाग के रूप में, बैंक अपने ग्राहक को संग्रहण लिखतों की राशि पर ब्याज का भुगतान करेगा यदि क्रेडिट देने में नीचे उल्लिखित समय अवधि से अधिक देरी होती है. विलंबित वसूली पर ब्याज के भुगतान के प्रयोजन हेतु बैंक की अपनी शाखाओं या अन्य बैंकों पर आहरित लिखतों में कोई अंतर नहीं होगा.

9.2 विलंबित वसूली के लिए ब्याज का भुगतान निम्नलिखित दरों पर किया जाएगा:

क. स्थानीय चेकों के संग्रहण में T+2 दिनों से अधिक की देरी की अवधि के लिए बचत बैंक दर.

ख. अन्य केंद्रों पर बैंक की अपनी शाखाओं को भेजे गए बाहरी चेकों के संग्रहण में T+6 दिनों से अधिक की देरी की अवधि के लिए बचत बैंक दर.

ग. वसूली के लिए अन्य बैंक की शाखाओं को भेजे गए चेक के मामले में जहां टी+10 दिनों से अधिक की देरी है, संबंधित अवधि के लिए सावधि जमा पर लागू दर या बचत बैंक दर, जो भी अधिक हो, पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा.

घ. असाधारण देरी के मामले में, यानी 90 दिनों से अधिक की देरी के मामले में, ऊपर उल्लिखित संबंधित ब्याज दर से 2% अधिक की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा.

ङ. यदि वसूली के तहत चेक की आय ग्राहक के ओवरड्राफ्ट/ऋण खाते में जमा की जानी थी, तो ऋण खाते पर लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा. असाधारण देरी के लिए, ऋण खाते पर लागू दर से 2% अधिक की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा.

च. विदेशों में आहरित चेकों के मामले में, बचत बैंक की दर से ब्याज दर का भुगतान नोस्ट्रो खाते में क्रेडिट की मूल्य तिथि से ग्राहक के खाते में वास्तविक क्रेडिट की तिथि तक किसी भी देरी के लिए एकत्र किए गए चेक की राशि पर किया जाएगा. [संदर्भ. आईसी संख्या 7560-2020 दिनांक 20.12.2006 और समय-समय पर संशोधित, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी].

10. चेक / लिखत पारगमन में / समाशोधन प्रक्रिया में या भुगतानकर्ता बैंक की शाखा में खो गए:

10.1 यदि कोई चेक या संग्रह के लिए स्वीकार किया गया एक साधन पारगमन या समाशोधन प्रक्रिया में या भुगतान करने वाले बैंक की शाखा में खो जाता है, तो बैंक तुरंत हानि के बारे में जागरूक होगा, खाता धारक को सूचित करेगा ताकि खाताधारक आहर्ता को सूचित कर सके भुगतान रोके जाने को रिकॉर्ड करना और यह भी ध्यान रखना कि उसके द्वारा जारी किए गए चेक, यदि कोई हों, खोए हुए चेकों/लिखतों की राशि जमा न करने के कारण अनादरित न हों. चेक के आहर्ता से डुप्लीकेट लिखत प्राप्त करने के लिए बैंक ग्राहक को हर संभव सहायता प्रदान करेगा.

10.2 IC: 1961: 2020 दिनांक 21.03.2020 और समय-समय पर यथा संशोधित बैंक की क्षतिपूर्ति पॉलिसी के अनुसार, बैंक खाताधारक को पारगमन में खोए हुए लिखतों के संबंध में निम्नलिखित तरीके से क्षतिपूर्ति करेगा:

क. यदि संग्रह के लिए निर्धारित समय सीमा (टी+2/टी+6/टी+10 दिन जैसा भी मामला हो) से अधिक समय के बाद ग्राहक को लिखत के नुकसान के बारे में सूचना दी जाती है, तो निर्धारित संग्रह अवधि से अधिक की अवधि के लिए ऊपर निर्दिष्ट दरों पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा.

ख. इसके अलावा, बैंक अगले 15 दिनों की अवधि के लिए बचत बैंक दर पर चेक की राशि पर ब्याज का भुगतान करेगा क्योंकि डुप्लीकेट चेक / लिखत प्राप्त करने और उसके संग्रहण में देरी होगी.

ग. बैंक ग्राहक को रसीद प्रस्तुत करने पर डुप्लीकेट चेक / लिखत प्राप्त करने में लगने वाले किसी भी उचित शुल्क के लिए क्षतिपूर्ति भी करेगा, यदि किसी बैंक / संस्थान से साधन प्राप्त किया जाना है, जो डुप्लीकेट लिखत जारी करने लिए शुल्क, यदि कोई हो, प्रभारित करेगा.

11. तृतीय पक्ष पृष्ठांकन : आरबीआई ने बैंकों को ''आदाता खाता चेक को उसमें नामित आदाता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के खाते में जमा करने से प्रतिबंधित कर दिया है. बैंक प्राप्तकर्ता घटक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए आदाता खाता चेक संग्रहीत नहीं करता है. हालाँकि, यदि आहर्ता द्वारा 'आदाता खाता' निर्देश वापस ले लिए जाते हैं तो बिंदु संख्या 6 में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करना है.

12. चेक / ड्राफ्ट / पे ऑर्डर / बैंकर्स चेक की वैधता: 1 अप्रैल, 2012 से चेक / ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक की वैधता जारी होने की तिथि से केवल तीन माह के लिए है. वैधता अवधि का उल्लेख 01.04.2012 के बाद मुद्रित चेक पन्ने, ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के ऊपर किया गया है. लिखत जारी होने की तिथि से तीन माह की वैधता अवधि के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए.

13. अप्रत्याशित घटना

यदि कोई अप्रत्याशित घटना जिसमें नागरिक उपद्रव, हंगामा, तोड़फोड़, तालाबंदी, लॉकडाउन, हड़ताल या अन्य श्रमिक गड़बड़ी, दुर्घटना, आग, प्राकृतिक आपदाएं या कोई अन्य "ईश्वरीय आपदा", युद्ध, महामारी, केंद्र / राज्य / जिला / स्थानीय सरकार/प्राधिकारियों द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम का आह्वान, बैंक की सुविधाओं या उसके संवाददाता बैंक (बैंकों) को नुकसान, संचार के सामान्य साधनों की अनुपस्थिति या सभी प्रकार के परिवहन आदि. बैंक के नियंत्रण से परे इसे निर्दिष्ट सेवा वितरण मानकों के भीतर अपने दायित्वों को पूरा करने से रोकता है तो ऐसी स्थिति में बैंक ग्राहक को क्षतिपूर्ति करने हेतु बाध्य नहीं होगा.

14. बिना भुगतान किए लौटाए गए चेक पर ब्याज लगाना जहां तत्काल क्रेडिट दिया गया था :

14.1 यदि संग्रहण के लिए भेजा गया चेक जिसके लिए बैंक द्वारा तत्काल क्रेडिट प्रदान किया गया, बिना भुगतान किए वापस कर दिया जाता है, तो चेक का मूल्य तुरंत खाते में डेबिट कर दिया जाएगा. इसके अलावा, जहां लागू होता है, खाते में काल्पनिक अतिदेय शेष राशि पर ब्याज लगाया जाएगा यदि शुरू में क्रेडिट दिया गया.

14.2. यदि चेक की आय बचत बैंक खाते में जमा की गई और वापस नहीं ली गई, तो बिना भुगतान के चेक वापस होने पर जमा की गई राशि ब्याज के भुगतान के योग्य नहीं होगी. यदि आय को ओवरड्राफ्ट / ऋण खाते में जमा किया गया, तो यदि चेक बिना भुगतान के वापस कर दिया गया है तो जिस सीमा तक बैंक निधि विहीन रहा है जमा किए जाने की तिथि से प्रतिप्रविष्टि किए जाने की तिथि तक ओवरड्राफ्ट / ऋण खाते पर लागू ब्याज की दर से 2% अधिक की दर से ब्याज की वसूली की जाएगी.

15. चेक की वसूली पर सेवा शुल्क / शुल्क

सभी संग्रहण सेवाओं के लिए बैंक समय-समय पर बैंक द्वारा तय किए गए उचित सेवा शुल्क वसूल करेगा और ग्राहक को बैंक द्वारा अपनाए गए ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता में बताए गए अनुसार सूचित किया जाएगा. सेवा शुल्क/शुल्क संबंधी बैंक की पॉलिसी समय-समय पर बैंक की वेबसाइट पर अपडेट की जाती है और यह शाखाओं के पास उपलब्ध है.

16. चेक अनादर - प्रक्रियाएं:

चेक के अनादरण के मामले में पालन की जाने वाली प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या Ref. DBOB.BC.Leg.No.113/08.12.001/2002-03 दिनांक 26.06.2003, DBOD.No.Leg.BC.9/09.07.006/2009-10 दिनांक 01.07.2009, DBOD No.Leg.BC.19/09.07.006/2010-11 दिनांक 01.07.2010 and DBR No.Leg.BC.21/09.07.2006/2015-16 दिनांक 01.07.2015 के अनुसार पॉलिसी दिशानिर्देश तैयार करने पर विचार किया गया है.

16.1 अनादरित चेकों की वापसी / प्रेषण की प्रक्रिया

क. शाखाएं समाशोधन गृहों के माध्यम से प्रस्तुत अनादरित चेकों को बैंकरों के समाशोधन गृहों के लिए समान विनियमों और नियमों के अनुसार संबंधित समाशोधन गृह के लिए निर्धारित वापसी नियमबद्धता के अनुसार सख्ती से लौटाएंगी.

ख. उस शाखा में दो खातों के बीच अंतरण के माध्यम से लेनदेन के निपटान के लिए शाखाओं को सीधे प्रस्तुत किए गए चेक के संबंध में, यह ऐसे अनादरित चेक आदाता / धारकों को तुरंत वापस कर देगा.

ग. चेक के अनादरण / वापसी के मामले में, भुगतानकर्ता बैंक को रिटर्न मेमो/आपत्ति पर्ची पर वापसी कारण कोड स्पष्ट रूप से इंगित करना चाहिए, जिस पर बैंक अधिकारियों के हस्ताक्षर/आद्याक्षर भी होने चाहिए, जैसा कि बैंकर्स समाशोधन गृह (URRBCH) समान विनियमों और नियमों के नियम 6 में निर्धारित है. सभी खातों के संबंध में धन की कमी के कारण अनादत किए गए चेकों को एक ज्ञापन के साथ वापस कर दिया जाएगा जिसमें "अपर्याप्त निधि" के रूप में अनादरण का कारण दर्शाया गया हो.

घ. भुगतान न किए गए चेक को बैंक के डाटाबेस में दर्ज पते पर 48 कार्य घंटों के भीतर डाक / कूरियर आदि द्वारा ग्राहक को वापस कर दिया जाएगा. तथापि, यदि ग्राहक इसके लिए अनुरोध करता / करती है तो काउंटर पर वापस लौटने के लिए इन्हें बैंक में रखा जाएगा. यदि ग्राहक द्वारा उसी या अगले कार्य दिवस पर एकत्र नहीं किया जाता है , तो बैंक उन्हें डाक या कूरियर द्वारा दर्ज पते पर वापस भेज देगा.

ङ. जो चेक पे-इन स्लिप में उल्लिखित गलत खाता संख्या के साथ जमा किए गए हैं, बैंक ऐसे चेक ग्राहकों को 48 कार्य घंटों के भीतर उल्लिखित पते पर वापस कर देगा. हालांकि, अपूर्ण पते, अपूर्ण फोन नंबर, पे-इन पर्ची पर उल्लिखित कोई फोन नंबर नहीं होने की स्थिति में, बैंक इन लिखतों को अधिकतम 3 महीने की अवधि के लिए रखने के लिए जिम्मेदार होगा.

च. तकनीकी वापसी चेकों का पुन: प्रस्तुतीकरण : तकनीकी कारणों से अस्वीकार किए गए चेकों को ग्राहकों को उचित सूचना के साथ 24 घंटे (छुट्टियों को छोड़कर) के बाद तत्काल अगली प्रस्तुति में फिर से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है.

छ. चेक में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर चेक वापस कर दिया जाएगा. प्राप्तकर्ता के नाम, शिष्टाचार राशि (राशि अंकों में) या वैधानिक राशि (राशि शब्दों में) आदि में कोई परिवर्तन / सुधार नहीं किया जाना चाहिए, सत्यापन अवधि के लिए तिथि में परिवर्तन को छोड़कर, ग्राहकों द्वारा नए चेक फॉर्म का उपयोग किया जाना चाहिए . यह CTS 2010 ग्रिड-आधारित समाशोधन केंद्रों पर समाशोधन में प्रस्तुत लिखतों के लिए भी लागू है. संग्राहक बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे चेक सीटीएस में प्रस्तुति के लिए स्वीकार नहीं किए जाए.

ज. चेक वापसी शुल्क केवल उन मामलों में लगाया जाएगा जहां ग्राहक की गलती है और ऐसे वापसी के लिए जिम्मेदार है.

झ. चेक वापसी के कारणों की सूची इस प्रकार है :

सीबीएस कोड	**कारण**
1	आदाता पृष्ठांकन अनियमित / बैंक की पुष्टि एकत्र करने की आवश्यकता है
2	भुगतानकर्ताओं के पृष्ठांकन की आवश्यकता है
3	आवश्यक जानकारी सुपाठ्य/सही नहीं है
4	निशान/अंगूठे के निशान द्वारा पृष्ठांकन के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा मुहर के साथ सत्यापन की आवश्यकता होती है.
5	निशान/अंगूठे के निशान द्वारा पृष्ठांकन के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा मुहर के साथ सत्यापन की आवश्यकता होती है।
6	प्रबंधन से अधिक है
7	आहर्ता को देखें
8	प्रबंधन से अधिक है
9	प्रभाव स्पष्ट नहीं हुए, पुनः प्रस्तुत करें.
10	लिखत विशेष रूप से दूसरे बैंक को रेखांकित किया गया
11	दो बैंकों को रेखांकित किया गया
12	समाशोधन गृह की मोहर/ तिथि आवश्यक है

13	आहर्ता के हस्ताक्षर भिन्न हैं
14	खाता बंद
15	परिवर्तन हेतु आहर्ता से प्रमाणीकरण की आवश्यकता है
16	आहर्ता द्वारा भुगतान रोका गया
17	गलत तरीके से सुपुर्द किया गया / हम पर आहरित नहीं किया गया
18	बैंक प्रमाणपत्र अस्पष्ट/अधूरा/अपेक्षित
19	कटे-फटे लिखतों हेतु बैंक गारंटी की आवश्यकता होती है
20	कटे-फटे लिखतों हेतु बैंक गारंटी की आवश्यकता होती है
21	निधि अपर्याप्त
22	प्रबंधन से अधिक है
23	लिखत उत्तर दिनांकित है
24	चेक अनियमित रूप से आहरित / राशि शब्दों और अंकों में भिन्न होती है
25	कृपया अदाकर्ता / अदाकर्ता बैंक से संपर्क करें एवं पुन: प्रस्तुत करें
26	आहर्ता के हस्ताक्षर पढ़ने योग्य नहीं हैं
27	आहर्ता के हस्ताक्षर आवश्यक हैं
28	आहर्ता के हस्ताक्षर शासनादेश के अनुसार नहीं हैं
29	खाता परिचालित करने के लिए आहर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त नहीं हुए
30	खाते को परिचालित करने के लिए आहर्ता से प्राधिकार प्राप्त नहीं हुआ
31	कुर्की आदेश द्वारा भुगतान रोका गया
32	न्यायालय के आदेश से भुगतान रोका गया
33	खाताधारक की मृत्यु के कारण निकासी रोक दी गई
34	खाताधारक के मानसिक विक्षिप्त होने के कारण निकासी रोक दी गई
35	खाताधारक के दिवालिया होने के कारण निकासी रोक दी गई
36	लिखत अप्रचलित / पुराना
37	लिखत बिना दिनांक के / उचित तिथि के बिना
38	उचित अंचल में प्रस्तुत करें
39	लिखत बाह्य मामलों से संबंधित हैं
40	छवि स्पष्ट नहीं है, कागज के साथ पुनः प्रस्तुत करें
41	दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें
42	मद दो बार सूचीबद्ध
43	पेपर नहीं मिला
44	सलाह पर राशि/नाम भिन्न है
45	खाता दूसरी शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया
46	ऐसा कोई खाता नहीं
47	खाते का शीर्षक आवश्यक है
48	खाते का शीर्षक गलत/अपूर्ण
49	खाता अवरुद्ध (स्थिति 21-25 में शामिल है
51	क्रॉसिंग स्टाम्प रद्द नहीं किया गया
52	समाशोधन स्टाम्प रद्द नहीं किया गया
53	लिखत विशेष रूप से दूसरे बैंक को रेखांकित किया गया
54	सुरक्षात्मक क्रॉसिंग में राशि आवश्यक/अपठनीय है
55	सुरक्षात्मक क्रॉसिंग में राशि गलत है
56	सलाह नहीं मिली
57	सलाह पर राशि/नाम भिन्न है

58	प्रायोजक बैंक के पास अदाकर्ता बैंक निधि अपर्याप्त है
59	भुगतानकर्ताओं को बैंक को अलग-अलग निर्वहन की आवश्यकता है
60	1 proximo तक देय नहीं
61	भुगतान आदेश/चेक पर प्रतिहस्ताक्षर आवश्यक है
62	आवश्यक जानकारी सुपाठ्य/सही नहीं है
63	जारी करने वाले कार्यालय से ड्राफ्ट खो गया / जारी करने वाले कार्यालय से पुष्टि की आवश्यकता है
64	बैंक / शाखा अवरुद्ध
65	डिजिटल प्रमाणपत्र सत्यापन विफल
66	बाह्य बैंक
67	सीटीएस के अंतर्गत लिखतों में परिवर्तन/सुधार प्रतिबंधित हैं
68	सीटीएस के अंतर्गत लिखतों में परिवर्तन/सुधार प्रतिबंधित हैं
84	अन्य कारण-कनेक्टिविटी फेल होना
86	जाली / नकली / चोरी ड्राफ्ट / चेक / पे ऑर्डर / ब्याज वारंट/लाभांश वारंट
87	भुगतानकर्ताओं के खाते में क्रेडिट - स्टाम्प आवश्यक है
88	अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)
89	आहर्ता के हस्ताक्षर अधूरे

ये कारण सांकेतिक हैं, बैंक प्रचलन के अनुसार और कारण जोड़ सकता है

16.2 अनादरित चेकों की जानकारी

क. अस्वीकृत चेक के संबंध में डाटा को ग्राहकों पर बैंक के एमआईएस का हिस्सा बनाया जाएगा.

ख. स्टॉक एक्सचेंजों के पक्ष में आहरित और अनादरित किए गए चेकों के संबंध में डाटा को केंद्रीय कार्यालय में ब्रोकर संस्थाओं से संबंधित बैंक के एमआईएस के एक भाग के रूप में ऐसे चेकों के मूल्य पर ध्यान दिए बिना अलग से लिया जाएगा.

ग. बैंक ऊपर उल्लिखित मामलों के संबंध में प्रत्येक तिमाही में लेखापरीक्षा / प्रबंधन समिति के समक्ष समेकित आंकड़े प्रस्तुत करेगा.

16.3 अनादरण की घटनाओं से निपटना :

16.3.1 रुपए 1.00 करोड़ और उससे अधिक के चेकों के नियमित अनादरण की घटनाओं का प्रबंधन

क. ग्राहकों के बीच वित्तीय नियमबद्धता लागू करने की दृष्टि से, बैंक ने चेक सुविधा के साथ खातों के परिचालन के लिए एक नियम शुरू करने का निर्णय लिया है कि एक करोड़ रुपये और उससे अधिक मूल्य के चेक के वित्तीय वर्ष के दौरान चार बार पर्याप्त धनराशि के अभाव में अनादरण की स्थिति में विशेष खाते में आहरणकर्ता को कोई नई चेक बुक जारी नहीं की जाएगी. बैंक अपने विवेक से चालू खाता बंद करने पर भी विचार कर सकता है.

ख. यदि वित्तीय वर्ष के दौरान किसी विशेष खाते पर चेक तीसरी बार अनादरित होता है, तो बैंक संबंधित ग्राहक को एक चेतावनी सूचना (भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक) जारी करेगा, जिसमें उक्त स्थिति और चेक सुविधा के परिणामी रोक की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया जाएगा. वित्तीय वर्ष के दौरान एक ही खाते में चौथी

बार चेक अनादरित होने की स्थिति में, यदि बैंक खाता बंद करना चाहता है तो इसी प्रकार की चेतावनी सूचना (भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक) जारी की जाएगी.

ग. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संदर्भ सं. डीबीआर.सं.एलईजी.बीसी.3/09.07.005/2016-17 दिनांक 04.08.2016 के अनुसार खाताधारकों की चेकों के अनादरण पर कार्रवाई / प्रतिक्रिया का निर्धारण करना बैंक के विवेक पर छोड़ दिया गया है.

17. रैंडम नंबर के साथ चेक जारी करना

17.1 चेक से संबंधित धोखाधड़ी को रोकने के लिए, बैंक ने 27 नवंबर 2017 से चेक पर रैंडम नंबर की अतिरिक्त सुरक्षा सुविधा शुरू की है, जैसा कि आईसी 04069: 2017 दिनांक 5 दिसंबर 2017 के अनुसार है. इसके अनुसार सिस्टम शाखाओं / सेवा शाखाओं में रु.2.00 लाख और उससे अधिक के चेक पासिंग के लिए रैंडम नंबर के लिए संकेत देता है. यह मॉड्यूल चेक से संबंधित धोखाधड़ी को काफी हद तक कम करने में स्थायी और प्रभावी है.

17.2 सभी ग्राहकों को अल्फ़ान्यूमेरिक रैंडम नंबर वाले चेक जारी किए जाने चाहिए. ग्राहकों को अपने पुराने चेक शाखाओं को भौतिक रूप से सौंपने चाहिए और ऐसे चेकों को सिस्टम में अभ्यर्पित के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए और भौतिक रूप से भी इन्हें रैंडम नंबर के साथ नए चेक जारी करने के तुरंत बाद नष्ट कर दिया जाना चाहिए. सभी शाखाओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी शाखा के ऐसे ग्राहकों की पहचान करें जो अधिक संख्या में चेक का उपयोग करते हैं और इन ग्राहकों को अल्फ़ान्यूमेरिक रैंडम नंबर वाले चेक से उन मौजूदा चेकों को जिनमें अल्फ़ान्यूमेरिक रैंडम नंबर की सुरक्षा सुविधा नहीं है बदलने के लिए राजी करें.

18. आधार शाखा द्वारा विभिन्न केंद्रों पर समाशोधन में प्रस्तुत किए गए चेकों का सत्यापन

18.1 आईसी संख्या 00843-2017 दिनांक 04.05.2017 के अनुसार, सीटीएस / एमआईसीआर समाशोधन, नकद भुगतान, एनईएफटी / आरटीजीएस / अंतरण में भुगतान के लिए प्रस्तुत रु.2.00 लाख और उससे अधिक के सभी चेकों को ग्राहक से संपर्क करके और पंजीकृत फोन / ईमेल / एसएमएस पर पुष्टि प्राप्त करके अनिवार्य रूप से प्रति सत्यापित किया जाना चाहिए.

18.2 विस्तृत दिशानिर्देशों को आईसी संख्या 1052:2017 दिनांक 19 दिसंबर 2017 और आईसी संख्या 1442/2019 दिनांक 05.01.2019 द्वारा दोहराया गया है, जिसके तहत आधार शाखा को ग्राहक से टेलीफोन / ई- मेल / एसएमएस के माध्यम से संपर्क करके जारी किए गए चेक के संबंध में पुष्टि प्राप्त करना चाहिए.

18.3 हर दिन "क्वेरी" मेनू के तहत विकल्प "15" अर्थात "अन्य शाखाओं में दर्ज आवक चेक" का उपयोग करके, शाखा को विभिन्न सेवा शाखाओं में समाशोधन में प्रस्तुत संबंधित "एसओएल" के सभी आवक चेक का विवरण मिलता है. इन चेकों के विवरण / इमेज को "HICTMO" मेनू से सत्यापित किया जा सकता है.

i. "QUERY" मेनू →विकल्प "15" →अन्य शाखाओं में दर्ज चेकों की सूची देता है.

ii. "HICTMO" मेनू →चेक के विवरण / इमेज सत्यापित करें

उत्पन्न आवक समाशोधन रिपोर्ट से, शाखा अधिकारियों को दर्ज किए गए चेकों को देखना होगा और 2.00 लाख रुपये और उससे अधिक के चेक के मामले में चेक जारी करने के सत्यापन के लिए ग्राहक से संपर्क करना होगा.

लेन-देन की अनुमति देने वाले शाखा अधिकारियों के हस्ताक्षर के साथ 'क्वेरी' विकल्प में उत्पन्न सूची का प्रिंटआउट शाखा में रखा जाना चाहिए और उसी फाइल को रजिस्टर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है.

1.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक की राशि के प्रत्येक अनादरित चेक के संबंध में डाटा को घटकों पर शामिल किया जाना चाहिए, और संबंधित शाखाओं को इस तरह के डाटा को अपने संबंधित नियंत्रण कार्यालय / प्रधान कार्यालय को रिपोर्ट करना चाहिए [संदर्भ. आरबीआई परिपत्र नं. DBOD.BC.Leg No.113/09.12.001/2002-03 दिनांक 26.06.2003].

18.4 किसी भी संदेह के मामले में, भले ही राशि रु. 2.00 लाख से कम हो या भुगतान किसी संस्था/व्यक्ति को किया गया हो, जो ग्राहक के खाते या प्रोफ़ाइल या कारोबार के पिछले चलन से जुड़ा नहीं है, ग्राहक से पुष्टि करें यद्यपि राशि रुपए 2 लाख कम है. बैंक ग्राहकों को समाशोधन में चेक दर्ज करने पर एसएमएस भी प्रदान करता है, ताकि ग्राहकों को सूचित किया जा सके.

18.5 सभी बड़े मूल्य के चेक शाखा प्रमुख / उप शाखा प्रमुख के ध्यान में लाए जाने चाहिए.

18.6 ऐसे चेक की पुष्टि / पास करने वाले अधिकारी का नाम दर्ज किया जाना चाहिए. ऐसे लेनदेन के लिए आधार शाखा के उस अधिकारी का नाम दर्ज करते हुए एक रजिस्टर रखा जाना चाहिए, जिसने आईसी संख्या 00843-2017 दिनांक 03.05.2017 के अनुसार लेनदेन की अनुमति दी है.

18.7 इस रजिस्टर का रखरखाव (सीबीएस में भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक) अनिवार्य है और लेखापरीक्षक एवं निरीक्षण अधिकारी शाखाओं के दौरे के दौरान रजिस्टर का सत्यापन करेंगे और शाखा द्वारा मानदंडों के पालन पर टिप्पणी करेंगे.

18.8 यदि ग्राहक या शाखा द्वारा कोई चेक जारी नहीं किया जाता है, चेक की इमेज पर दिखाई देने वाली विशेषताओं के कारण चेक की वास्तविकता पर संदेह होता है या यदि वे ग्राहक से पुष्टि प्राप्त करने में विफल रहते हैं, तो इसे संबंधित सेवा शाखा को उसी दिन दोपहर को चेक क्लियरिंग हाउस को वापस करने और प्रस्तुतकर्ता बैंक को सतर्क करने के लिए 12.00 बजे से पहले सूचित किया जाना चाहिए.

18.9 आईसी संख्या 1442 दिनांक 05.01.2019 के अनुसार सेवा शाखाओं को भी आधार शाखाओं (आधार शाखा केंद्र में छुट्टी के मामले में ग्राहक) से संपर्क करना जारी रखना चाहिए.

19. ग्राहक शिकायत निवारण : बैंक की एक संरचित ग्राहक शिकायत निवारण पॉलिसी है जिसे वेब साइट पर प्रदर्शित किया गया है. संबंधित विषय क्षेत्र पर ग्राहकों की शिकायतों का निवारण हमारी ग्राहक शिकायत निवारण पॉलिसी के अनुसार किया जाएगा.

20. सामान्य:

अदालत, उपभोक्ता फोरम या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी, बैंक के समक्ष अनादरित चेक से संबंधित किसी भी कार्यवाही में एक शिकायतकर्ता (अर्थात, एक अनादरित चेक के धारक / प्राप्तकर्ता) की ओर से चेक के अनादर के तथ्य को साबित करने के लिए साक्ष्य जोड़ने के उद्देश्य से पूरा सहयोग करेंगे, और उन्हें चेक के अनादरण के तथ्य का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करेंगे.

पुनरावृत्ति पर, यह दोहराया जाता है कि, सभी चेक, यदि खाते में धन की कमी के लिए उन्हें वापस किया जाना है, तो उन्हें केवल "खाते में अपर्याप्त निधि" कारण के साथ वापस किया जाएगा.

21. एसएमएस/ई-मेल अलर्ट:

पॉलिसी के तौर पर बैंक द्वारा ग्राहक को समाशोधन / संग्रहण के माध्यम से भेजे गए लिखतों की प्रस्तुति**,** वसूली या अनादरण के लिए एसएमएस **/** ई-मेल आधारित अलर्ट प्राप्त करने में सक्षम बनाया जाएगा**.**

22. आरबीआई में विवाद समाधान तंत्र - विवादों के समाधान के लिए पैनल (पीआरडी):

[**आरबीआई के परिपत्र PSS.CO.CHD.No.654/03.01.03/2010-2011 दिनांक 24 सितंबर, 2010 के अनुलग्नक के अनुसार]**

भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के प्रावधानों के अनुरूप सभी भुगतान प्रणालियों के लिए एक विवाद समाधान तंत्र है. यह पेपर (चेक) और खुदरा इलेक्ट्रॉनिक (ईसीएस) भुगतान उत्पादों सहित समाशोधन गृहों से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए लागू है. सेवा शाखाएं / ग्रिड समय पर बैंकों के बीच संबंधित विवादित मामलों को पीआरडी को संदर्भित कर सकती हैं. पीआरडी ₹50000.00 और उससे अधिक की चेक राशि के लिए लागू है.

23. पॉज़िटिव पे प्रणाली:

23.1 **पृष्ठभूमि:** धोखाधड़ी को रोकने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र क्र. RBI :2020-21:41 DPSS.CO. RPPD. No. 309:04.07.005:2020-21 दिनांक 25.09.2020 के जरिए पॉज़िटिव पे प्रणाली पेश की गई है. तदनुसार, बैंक ने दिनांक 01.01.2021 से पॉज़िटिव पे प्रणाली लागू की है. पॉज़िटिव पे की अवधारणा में रु 50000/- एवं उससे बड़े मूल्य के चेक के प्रमुख विवरणों की प्रामाणिकता को जाँचने की प्रक्रिया को शामिल किया गया है. धोखाधड़ी को रोकने और सीटीएस प्रक्रिया के तहत चेक के भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए पॉज़िटिव पे प्रणाली पेश की गई है.

23.2 **पॉज़िटिव पे के चैनल:** सकारात्मक भुगतान के तहत चेक की पुन: पुष्टि के लिए ग्राहक द्वारा निम्नलिखित चैनलों का उपयोग किया जा सकता है:

क. मोबाइल बैंकिंग (VYOM)
ख. इंटरनेट बैंकिंग
ग. कॉर्पोरेट वेबसाइट (निम्नलिखित लिंक का उपयोग करके)
https://myportal.unionbankofindia.co.in/PositivePay/
घ. व्हाट्सएप बैंकिंग (UVCON)
ङ. एसएमएस बैंकिंग

च. शाखा बैंकिंग

23.3पॉज़िटिव पे प्रणाली विशेषताएं:

- ग्राहक चेक जारी करते समय बैंकों को जारी किए गए लिखतों का विवरण प्रदान करेंगे. ग्राहक के जारी किए गए चेक का विवरण बैंक द्वारा विभिन्न तरीकों से एकत्र किया जाएगा जैसे - शाखाओं में भौतिक रूप से जमा करना, इंटरनेट बैंकिंग और एसएमएस बैंकिंग.
- विवरण एकत्र करने पर, बैंक अपने डाटा एक्सचेंज मॉड्यूल (डीईएम) या क्लियरिंग हाउस इंटरफेस (सीएचआई) के माध्यम से एनपीसीआई परिभाषित प्रारूप में विवरण तैयार करते हैं और समाशोधन गृह में भेजते हैं.
- डाटा को एनपीसीआई को भेजने से पहले बैंक द्वारा आवश्यक प्रमाणीकरण और डाटा सत्यापन प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए.
- अपलोड की गई फाइल को सभी अनिवार्य फील्ड की उपलब्धता की जांच करने के लिए मान्य किया जाएगा. यदि अनिवार्य फ़ील्ड मौजूद नहीं हैं, तो फ़ाइल (चेक) को उचित कारण के साथ अस्वीकार कर दिया जाएगा.
- सत्यापन के बाद, डाटा को पॉजिटिव पे सिस्टम डाटाबेस में अद्यतन किया जाएगा और अपलोड की गई फ़ाइल हेतु बैंक के साथ प्रतिक्रिया साझा की जाएगी.
- उसके बाद, प्रस्तुत सत्र में बैंक द्वारा प्रस्तुत किए गए चेक एनपीसीआई द्वारा पॉज़िटिव पे सिस्टम डाटा के सापेक्ष मान्य किए जाएंगे.
- पॉज़िटिव पे सिस्टम डाटा के साथ लिखत डाटा की मिलान स्थिति पर आवक फ़ाइल (पीएक्सएफ फ़ाइल) के भाग के रूप में एक पहचानकर्ता प्रदान किया जाता है.
- लिखत डाटा जो पॉज़िटिव पे सिस्टम के साथ मान्य हो रहे हैं, उन्हें अदाकर्ता बैंकों द्वारा आवश्यक किसी भी अतिरिक्त समाधान या मिलान के लिए रिपोर्ट के रूप में भी प्रदान किया जाएगा.
- उपर्युक्त रिपोर्ट संबंधित प्रस्तुतकर्ता बैंक को सूचना के रूप में और मामले के आधार पर, यदि कोई आवश्यक हो तो निवारक कार्रवाई करने के लिए भी उपलब्ध करायी जाती है.
- भुगतान हेतु निर्णय लेने के लिए अदाकर्ता बैंकों को आवक फ़ाइल के भाग के रूप में उपलब्ध कराए गए फ्लेग नीचे दिए गए हैं.

क्र. सं.	फ्लेग	विवरण	प्रस्तावित कार्रवाई
I.	पी	सीपीपीएस के साथ लिखत का सत्यापन. चेक नंबर, अदाकर्ता बैंक, एमआईसीआर एवं राशि में कोई बेमेल न हो	लिखत / चेक पारित करें
II.	डी	डुप्लीकेट लिखत पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं. चेक नंबर, अदाकर्ता बैंक, एमआईसीआर एवं राशि में कोई बेमेल न हो	इस मामले में दो परिदृश्य उपलब्ध हैं: **क**. वास्तविक चेक वापस कर दिया जाता है एवं पुनः प्रस्तुत किया जाता है. **ख**. पहले से पारित चेक को फिर से डुप्लिकेट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है. सेवा शाखा की भूमिका: उपरोक्त परिदृश्य में, आवक चेक पारित करने/वापसी करने पर उपयुक्त निर्णय लेने के लिए सेवा शाखा उपयोगकर्ता को आवक फाइल में उपलब्ध डाटा को पीपीएस डाटा के सापेक्ष सत्यापित करना होता है.

III.	वाई	राशि बेमेल. चेक नंबर और अदाकर्ता बैंक एमआईसीआर का मिलान हो गया है	सेवा शाखा की भूमिका: ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं जहां पीपीएस में ग्राहकों द्वारा अनजाने में राशि दर्ज की गई हो। इस परिदृश्य में, सेवा शाखा उपयोगकर्ता बैंक में उपलब्ध मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार जैसे ग्राहक से संपर्क करना/आहर्ता को संदर्भित करना आदि निर्णय ले सकता है.
IV.	ज़ेड	डुप्लीकेट लिखत / चेक पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है. राशि बेमेल. चेक नंबर और अदाकर्ता बैंक एमआईसीआर का मिलान हो गया है	सेवा शाखा की भूमिका: इस परिदृश्य में, सेवा शाखा उपयोगकर्ता बैंक में उपलब्ध मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार जैसे ग्राहक से संपर्क करना/आहर्ता को संदर्भित करना आदि निर्णय ले सकता है.
V.	एन	लिखत सीपीपीएस डाटा का भाग नहीं है	पॉज़िटिव पे सिस्टम को अपनाना ग्राहक के विवेक पर निर्भर करता है. हालांकि, यदि कोई ग्राहक पॉज़िटिव पे सिस्टम का विकल्प चुन रहा है, तो पॉज़िटिव पे सिस्टम के माध्यम से रु 5.00 लाख और उससे अधिक चेक प्रस्तुत करना अनिवार्य है. सेवा शाखा की भूमिका: चूंकि साधन पीपीएस डाटा का भाग नहीं है, सेवा शाखा उपयोगकर्ता लिखत को अस्वीकार कर सकता है यदि यह रु 5.00 लाख और उससे अधिक का है. रुपये 5.00 लाख से कम के चेक के लिए, सेवा शाखा उपयोगकर्ता बैंक में उपलब्ध मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार निर्णय ले सकते हैं.

- उपरोक्त फ्लेग लिखत के भुगतान के समय परिलक्षित होते हैं, यदि ध्वज "पी" है तो शाखा लिखत पारित कर सकती है. ध्वज "डी, वाई, जेड" के मामले में शाखा को उचित सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. "एन" के मामले में शाखा लिखत पारित कर सकती है, लेकिन ग्राहक को सलाह दी जानी चाहिए कि वह अनिवार्य रूप से रु. 5.00 लाख से ऊपर पॉज़िटिव पे का उपयोग करें.

23.4अनिवार्य पॉज़िटिव पे: बैंक ने रु 2.00 लाख और उससे अधिक के लिए पॉज़िटिव पे अनिवार्य कर दिया है. यदि ग्राहकों द्वारा पॉज़िटिव पे में पुन: पुष्टि नहीं की जाती है तो चेक शाखाओं द्वारा वापस किए जा सकते हैं.

24. पॉलिसी की वैधता और समीक्षा:

पॉलिसी की समीक्षा समय-समय पर जारी विनियामक दिशानिर्देशों या आंतरिक आवश्यकताओं के अनुरूप या जब भी आवश्यक हो, वार्षिक रूप से की जाएगी.

चेकों / लिखतों के संग्रहण एवं लिखतों के अनादरण पर पॉलिसी 2023-24 दिनांक 31 मार्च, 2024 तक वैध होगी .

****